न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 12/2025 बउनवानी नन्द किशोर वर्मा **बनाम** लो.सू.अधि.एवं अति0 जिला कलेक्टर,स0मा0 पुत्र श्री रामनिवास रेगर निवासी कुशलपुरा तहसील मित्रपुरा

GCMS No-2025/75

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
18.3.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 7.01.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *ग्राम पंचायत कुशलपुरा मे 1.3.2020 से 1.1.2025 तक, ग्राम सभा की बैठक पंजिका की प्रति, कार्यवाही विवरण, कार्य, खर्चा, आवासीय पटटे,, नरेगा टेंडर ,एसएसपी,टीएसपी, नाली निर्माण , ई–मित्र संचालको की जानकारी सहित कुल 12 बिन्दुओ की सूचना " अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर* से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(2)(6)/2025/228 दिनांक 11.3.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 7.1.2025 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 12 मे चाही गयी सूचना का संबंध ग्राम पंचायत कुशलपुरा पंचायत समिति बौली से होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित करते हुए आवेदक को भी सूचित किया गया। यह भी अंकित किया कि चाही गयी सूचना का संबंध अन्य लोक सूचना अधिकारी से होने के कारण आवेदक का प्रार्थना पत्र तत्समय ही नियत समयावधि मे अन्तरित किया जा चुका है तथा अन्य लोक सूचना अधिकारियों से सूचना संकलित करने का प्रावधान नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज करने बाबत लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब मे अंकित किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 7.1.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 12 में चाही गयी सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय से नही होकर ग्राम पंचायत कुशलपुरा से होने के कारण अति0 जिला कलेक्टर के कार्यालय द्वारा अपीलान्ट को उक्त सूचना दिया जाना सम्भव नही है,जिसके संबंध मे लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। अपीलान्ट उक्त संबंध में सक्षम ऑथर्टी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:09:05 IST
Reason: SelfAttested